कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जौनपुर।

पत्र संख्या– रीडर/सीएफओजे/बे0शि0–एनओसी(जौनपुर)/2025 दिनांकः 20-09-2025

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
सेन्ट जोजेफ स्कूल
निकामुद्दीनपुर, मछलीशहर, जौनपुर

विषय– सेन्ट जोजेफ स्कूल, निकामुद्दीनपुर, मछलीशहर, जौनपुर का अग्नि शमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने विषयक।

संदर्भः– आपका पत्रांक शून्य दिनांक : 20-09-2025 के सन्दर्भ में ।

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त सम्बन्ध में आपके विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टि से निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी, जौनपुर द्वारा किया गया तो उनकी आख्यानुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः–

1. प्रश्नगत शैक्षिक भवन हेतु अग्निशमन वाहन पहुँच कर अग्निशमन कार्य कर सकते है।
2. प्रश्नगत शैक्षिक भवन भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल पर निर्मित है। प्रबन्धन द्वारा अवगत कराया गया है कि भूतल व प्रथम तल पर शिक्षण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में द्वितीय तल का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
3. प्रश्नगत शैक्षिक भवन के प्रस्तुत मानचित्र में कवर्ड एरिया भूतल का 442.00 वर्ग मीटर, प्रथम तल का 377.04 वर्ग मीटर व द्वितीय तल का 352.58 वर्ग मीटर प्रदर्शित है।
4. प्रश्नगत शैक्षिक भवन में दो स्टेयरकेश उपलब्ध है।

अग्निशमन व्यवस्थाएं एवं सुझावः–

1. प्रश्नगत शैक्षिक भवन के भूतल व प्रथम तल पर अधिष्ठापित फायर एक्सटिंग्यूशर्स निरीक्षण के समय कार्यशील दशा में उपलब्ध पाये गये।
2. प्रश्नगत शैक्षिक भवन के द्वितीय तल को शैक्षणिक कार्य हेतु प्रयोग से पूर्व प्रबन्धन द्वारा मानक के अनुसार भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर्स, होजरील व टेरिस टैंक का प्राविधान किया जाना वांछनीय होगा तथा इसी सूचना अग्निशमन विभाग को देना आवश्यक होगा।
3. प्रश्नगत शैक्षिक भवन में फायर स्टेशन जौनपुर का टेलीफोन नम्बर 05452–269999, 9454418612 व 101 अंकित किया गया है।
4. प्रश्नगत शैक्षिक भवन प्रबन्धन को फायर एक्सटिंग्यूशर के संचालन की जानकारी दी गयी।
5. प्रश्नगत शैक्षिक भवन में स्थापित विद्युत व्यवस्थापन की जॉच विद्युत सुरक्षा निदेशालय से कराकर निरापदता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय।
6. भवन के ढ़ाचागत संरचना की सुदृढ़ता का प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, जौनपुर की संस्तुति व उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर सेन्ट जोजेफ स्कूल, निकामुद्दीनपुर, मछलीशहर, जौनपुर को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है–

1. विद्यालय भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेन्स शैड्यूल बनाया जाय तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाय।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाय।
3. किसी प्रकार का अतिरिक्त निमार्ण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
4. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।

F.O.
N.R.

Principal
St Joseph School
Nikamuddinpur
Machhlishahar, Jaunpur

Principal
St. Joseph Sr. Sec. School
Nikamuddinpur, Macchlishahar,Jaunpur

Manager
St. Joseph School
Nikamuddinpur
Machhlishahar, Jaunpur

Manager
St. Joseph Sr. Sec. School
Nikamuddinpur Macchlishahar

5. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाय तथा इमरजेन्सी इवेक्यूवेशन प्लान बनाया जाय। इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाय।
6. वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7. भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी की होगी।
8. विद्यालय भवन में विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
9. विद्यालय में मीड डे मिल/कैन्टीन आदि भूतल पर व निकास मार्गो से दूर टिन सेड अथवा पक्के निर्माण में ही किया जाय।
10. विद्यालय भवन के जिन कमरों में एक ही दरवाजा लगा है उन कमरों में 45 से अधिक छात्र/छात्राओं को न बैठाया जाय।
11. प्रबन्धन द्वारा स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशर्स का प्रत्येक वर्ष टेस्टिंग रिफिलिंग कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर अग्निशमन विभाग से निरीक्षण परीक्षण कराकर नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।
12. उक्त शर्तो/निर्देशो का उल्लंघन होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अतः आवेदक को इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्णतया पालन कर विद्यालय भवन में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशर्स का प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर व विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर प्राप्त प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक होगा। प्राथमिक अग्निशमन उपकरण/सिस्टम के अकार्यशील पाये जाने व वार्षिक नवीनीकरण न कराये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक/प्रधानाचार्य की स्वयं होगी।

(आर०पी० [illegible])
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
जौनपुर।

प्रतिलिपिः अग्निशमन अधिकारी जौनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Principal
St. Joseph Sr. Sec. School
Nikamuddinpur, Macchlishahar, Jaunpur

Principal
St. Joseph School
Nikamuddinpur
Machhli [illegible], Jaunpur

Manager
St. Joseph Sr. Sec. School
Nikamuddinpur, Macchlishahar, Jaunpur

Manager
St. Joseph School
Nikamuddinpur
[illegible] Shahar, Jaunpur